न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी– श्री सुरेश चन्द जाटव नायब तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 84/19 ता0रजु. 20.11.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 07-01-2020

सरकार

बनाम

हरीसिंह पुत्र गिरोडी

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का शेरवाकर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम ना०पगा।, म०अरोदा के खसरा नम्बर 133 कुलरकवा 13.60 हैक्ट. किस्म भूमि बजड पर सम्बत 2076 में श्री हरीसिंह पुत्र गिरोडी आजर न०पगा म०अरोदा तह0 बयाना ने 0.12 हैक्ट. पर अतिक्रमणं कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एंलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सयाल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त इस निष्कर्ष पर पंहुचता है। कि अप्रार्थी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।
अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 133 रकवा 0.12 हैक्ट. वाके ग्राम न०पगा।, म०अरोदा से बेदखल किया जाता है। लगान 0.48 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 24 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।
पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 07-01-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
बयाना